झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–719 वर्ष 2017

रवींद्र प्रसाद ..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।
2. पुलिस महानिदेशक सह महानिरीक्षक, झारखंड, रांची, पुलिस हेडक्वार्टर, डाकघर एवं थाना–धुर्वा, जिला–रांची।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान क्षेत्र), चाईबासा, डाकघर एवं थाना–चाईबासा, जिला–पश्चिम सिंहभूम।
4. पुलिस अधीक्षक, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा, डाकघर–चाईबासा, थाना–चाईबासा, जिला–पश्चिम सिंहभूम।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री दिवाकर उपाध्याय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री समीर सहाय, ए0जी0 का ए0सी0

05/03.12.2019 याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 18.11.2001 के आदेश जो मेमो सं0 2526/गो में निहित है और पुलिस उप महानिरीक्षक, सिंहभूम (कोल्हान क्षेत्र), चाईबासा द्वारा पारित दिनांक 20.09.2016 के आदेश जो मेमो सं0 1653/सा–शामें निहित है, को रद्द करने के लिए इस न्यायालय का

दरवाजा खटखटाया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 18.11.2001 से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और सभी परिणामी लाभों और पिछली वेतनों, जिसके लिए याचिकाकर्ता कानून के अनुसार हकदार है, के साथ बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने के बाद याचिकाकर्ता को बहाल करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए भी।

2. बहुत शुरूआत में, श्री दिवाकर उपाध्याय, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा ि कइस रिट याचिका में शामिल मुद्दा अब कोई अनिर्णीत विषय नहीं है और यह रिट याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2019 को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6246/2016 में पारित आदेश द्वारा पूरी तरह से आच्छादित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा ि कइस मामले को उपरोक्त मामले में पारित आदेश के अनुसार निपटाया जा सकता है।

3. उत्तरदाताओं की ओर से प्रतिवाद में जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि इस रिट याचिका में शामिल मुद्दे का निर्णय डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6246/2016 में इस न्यायालय द्वारा पहले ही तय किए जा चुके हैं और यदि याचिकाकर्ता का मामला डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6246/2016 के याचिकाकर्ताओं के मामले के समान पाया जाता है तो वर्तमान याचिकाकर्ता भी समान लाभों के लिए हकदार है।

4. पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा किए गए निष्पक्ष प्रस्तुती के मद्देनजर, इस रिट एप्लिकेशन को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6246/2016 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ में निपटाया जा रहा है और यदि वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला डब्ल्यू0पी0

(एस0) सं0 6246/2016 के याचिकाकर्ताओं के मामले के समान पाया जाता है तो वर्तमान याचिकाकर्ता भी उसी लाभ के लिए हकदार है।

5. तदनुसार, मैं उत्तरदाताओं–अधिकारियों को वर्तमान रिट याचिका में शामिल तथ्यात्मक पहलुओं/मुद्दों को डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 6246/2016 में शामिल तथ्यात्मक पहलू/मुद्दे से सत्यापित करने का निर्देश देता हूँ और यदि वर्तमान रिट याचिका में शामिल तथ्य/मुद्दे उपरोक्त रिट याचिका के समान पाए जाते हैं, तो वही लाभ वर्तमान रिट याचिकाकर्ता को भी कानून के अनुसार इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर दिया जाएगा। यदि याची का मामला एक या अन्य कारणों से ठुकरा दिया जाता है, तो उसे दो सप्ताह की और अवधि के भीतर याची को सूचित किया जाएगा।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0